

छत्तीसगढ़ शासन  
कृषि विभाग  
मंत्रालय

महानदी भवन, नया रायपुर 492002

--: आदेश :-

नया रायपुर दिनांक 24/08/2015


कमांक 2824/एफ-02/04/PMKSY/2015/14-2 : : भारत सरकार, कृषि मंत्रालय द्वारा जारी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) की गाईडलाईन के बिन्दु कमांक 12 में दिये गये निर्देशों के परिपेक्ष्य में राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नानुसार अंतर्विभागीय कार्यकारी समूह (IDWG) का गठन करती है :-

1	कृषि उत्पादन आयुक्त/प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, कृषि विभाग	अध्यक्ष
2	प्रमुख सचिव/सचिव, छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
3	प्रमुख सचिव/सचिव, छ.ग. शासन, जल संसाधन विभाग	सदस्य
4	प्रमुख सचिव/सचिव, छ.ग. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग	सदस्य
5	प्रमुख सचिव/सचिव, छ.ग. शासन, वन विभाग	सदस्य
6	प्रमुख सचिव/सचिव, छ.ग. शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	सदस्य
7	प्रमुख सचिव/सचिव, छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन विभाग	सदस्य
8	प्रमुख सचिव/सचिव, छ.ग. शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	सदस्य
9	प्रमुख सचिव/सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग	सदस्य
10	सचिव, छ.ग. शासन कृषि विभाग	सदस्य
11	संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, छ.ग., रायपुर	सह समन्वयक
12	प्रमुख अभियंता, जल संसाधन/सिंचाई विभाग	सह समन्वयक
13	संचालक कृषि, छ.ग., रायपुर	सह समन्वयक
14	प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि. रायपुर	सदस्य सचिव

**Term of Reference:-**

- योजना के क्रियान्वयन हेतु कृषि विभाग नोडल विभाग होगा।
- अंतर्विभागीय कार्यकारी समूह (IDWG) योजनान्तर्गत प्रतिदिन होने वाली गतिविधियों के समन्वय एवं प्रबंधन हेतु उत्तरदायी होगी।
- IDWG योजनान्तर्गत उन सभी मंत्रालयों, विभागों, एजेन्सियों से समन्वय करेगी जो जल स्रोतों के निर्माण/विकास, उपयोग, पुर्नचक्रण (Recycling) एवं संरक्षण से संबंधित है ताकि जल की प्रत्येक बूंद का इष्टतम उपयोग हो सके।
- अंतर्विभागीय कार्यकारी समूह (IDWG) अनुशंसा सहित प्रस्तावों को स्वीकृति हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (SLSC) के समक्ष प्रस्तुत करेगी। जिस पर अंतिम स्वीकृति SLSC द्वारा दी जावेगी।
- यह समूह सभी परियोजना प्रस्तावों का परीक्षण कर सुनिश्चित करेगा कि यह गाईडलाईन के अनुरूप हो तथा उनकी प्राथमिकता तय करेगा। इसके अतिरिक्त योजना की गाईडलाईन में दिये गये निर्देशों के अनुरूप कार्य करेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(प्रदीप कुमार दबे)  
संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन कृषि विभाग

36

/2/

पृ. क्रमांक/ 2825 /एफ-02/04/PMKSY/2015/14-2 नया रायपुर दिनांक 24/08/15  
प्रतिलिपि :-

1. माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जल संसाधन, आयाकट, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, छ.ग. शासन।
3. मुख्य सचिव के उप सचिव, छ.ग. शासन।
4. अपर सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली 110001 की ओर सूचनार्थ।
5. स्टॉफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, छ.ग. शासन।
6. प्रमुख सचिव/सचिव, छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
7. प्रमुख सचिव/सचिव, छ.ग. शासन, जल संसाधन विभाग।
8. प्रमुख सचिव/सचिव, छ.ग. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग।
9. प्रमुख सचिव/सचिव, छ.ग. शासन, वन विभाग।
10. प्रमुख सचिव/सचिव, छ.ग. शासन, लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग।
11. प्रमुख सचिव/सचिव, छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन विभाग।
12. प्रमुख सचिव/सचिव, छ.ग. शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग।
13. प्रमुख सचिव/सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग।
14. सचिव, छ.ग. शासन, कृषि विभाग।
15. सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की ओर सूचनार्थ।
16. संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, छ.ग. रायपुर।
17. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन/सिंचाई विभाग, सिहावा भवन, सिविल लाईन्स, रायपुर।
18. संचालक कृषि, छ.ग. रायपुर
19. प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि. रायपुर।
20. स्टॉक फाईल।

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन कृषि विभाग